

FORM NO- III

फर्त अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत ..... उपखंड अधिकारी ..... मुकाम ..... बयाना .....  
 किरोड़ी आदि ..... बनाम ..... हरीसिंह बगैरह ..... किरम .....  
 मुकदमा ..... प्रार्थना-पत्र 212 राज.टी.एक्ट. नं. 339/22 सन .....  
 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुक्म		नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.12.2022	<p>एडवोकेट प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र धारा 212 राज. टी. एक्ट के तहत पेश किया। हमने एडवोकेट प्रार्थी को एक पक्षीय सुना। पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के हक में कयास आता है कि अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थायी आशय का जारी किया जाता है प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम रसेरी तहसील बयाना में प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी के मौके की यथास्थिति बनाए रखे। डौल मेढों को नहीं तोड़े। इस बाबत कोई आपत्ति हो तो नियत तारीख पेशी को न्यायालय हाजा उपस्थित हों। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो और अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 13.04.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> <b>दीगर कार्य में</b>              पीठासीन अधिकारी .....              पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/23              उपखण्ड अधिकारी .....              बयाना (भरतपुर)              रीडर,              एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना         </p> <p style="text-align: right;"> <b>दीगर कार्य में</b>              पीठासीन अधिकारी .....              पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/10/23 को पेश हो              रीडर,              एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना         </p>	

